(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं.10/2017- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोएथेन या आर-134ए (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत पदार्थ से संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2903 39 19 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के बारे में नामित प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/23/2014-डीजीएडी दिनांक 30 मई, 2016 जिसे 30 मई, 2016, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड-1 में प्रकाशित किया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत पदार्थों की लगातार भरमार हो रही थी।
(ii)इनके आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें काफी कम हो रही थी और घरेलू कीमतों में मंदी आ गई थी।
(iii) घरेलू उद्योग की वित्तीय काम-काज गड़बड़ा गया था और विषयगत देश से हो रहे भारी आयात से घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान हो रहा था।
(iv) विषयगत देश से होने वाले विषयगत पदार्थों की भरमार के जारी रहने की संभावना थी यदि चालू प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाता तो

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित इन विषयगत पदार्थों के आयात पर निश्चयात्मक परिपाटन शुल्क को लगे रहने देने के लिए सिफारिश की थी।

और जहां के नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि.675(अ) दिनांक 11 जुलाई, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से विषयगत पदार्थों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोड्क्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) ने उनके द्वारा किए गए विषयगत पदार्थों के निर्यात के बारे में सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 की दृष्टि से पुन: विचार करने के लिए अनुरोध किया था और नामित प्राधिकारी ने अपने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 15/22/2016-डीजीएडी दिनांक 27 फरवरी, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य

पूरा न हो जाए उपर्युक्त पार्टियों के द्वारा किए जाने वाले विषयगत पदार्थों के सभी आयात का अनंतिम आकलन किया जाए।

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार नामित प्राधिकारियों की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एततद्वारा आदेश देती है कि जब तक नामित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम विचाराधीन रहते हैं तब तक विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत पदार्थों, जो कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोड्क्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) के द्वारा उत्पादित या निर्यातित किए गए हों के भारत में आयात का तब तक अनंतिम आकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यदि भुगतान में कोई कमी रह गई हो तो उस स्थिति में या यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जाता है तो नामित प्राधिकारी के जांच-कार्य के पूरा होने पर यह अनंतिम आकलन उस सुरक्षा और प्रतिभूति के अधीन रहेगा जिसे सीमाशुल्क का यथोचित अधिकारी उचित समझे।

3. नामित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश की जाती है तो आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क की राशि का भुगतान करेगा जिसकी इस समीक्षा में सिफारिश की गई हो और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित, जो कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोड्क्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा उत्पादित या निर्यातित किए गए हों, के भारत में आयात पर उक्त समीक्षा के प्रारंभ के तिथि से लगाया गया हो।

[फा.सं. 354/24/2010-टीआरयू (पार्ट-3)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार